05 **अभियोजन साक्षी**

06.08.2018 **21 वर्ष**

शपथ पूर्वक **जितेन्द्र बरवे**

भोजराज बरवे **मोची कार्य**

आदर्श नगर, थाना न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

<u>मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री जे.एम.राजिमवाले अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन</u>

01. मै न्यायालय उपस्थित आरोपी को पहचानता हूं। आहत विकास बरवे मेरा भांजा है।

02. घटना आज से करीब 3–4 महिना पहले की है। शाम लगभग साढ़े सात बजे मै अपने दोस्त की मोबाईल दुकान आदर्श नगर में बैठा था। मै देखा कि मेरे भांजे विकास बरवे को मेरी दीदी और जीजाजी आटो में लेकर हास्पिटल जा रहे थे तब मैने अपनी दीदी से पूछा कि क्या हो गया है तब वह बताई कि विकास को किसी ने चाकू मार दिया है और अस्पताल लेकर जा रहे है। मै भी रामकृष्ण अस्पताल गया था। मैने देखा था कि विकास को चोटें लगी थी। विकास से मैने पुछा था कि चोंट कैसे लगी तब उसने बताया कि किसी ने उसे चाकू मारकर चोंट पहूंचाया है। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने मुझसे घटना के संबंध में पूछताछ नहीं किये थे।

<u>नोटः– इसी स्तर पर साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन नही किये जाने के कारण अपर लोक अभियोजक द्वारा साक्षी को प्रतिकूल घोषित कर प्रतिपरीक्षण स्वरूप प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही। विचार बाद अनुमति दी गयी।</u>

03. यह कहना गलत है कि विकास के पिता अर्जुन बरवे ने मुझे फोन करके बताया था कि विकास को नरेश लोखण्डे ने प्रकाश स्वीमिंग पुल के पास सीनें में चाकू से मार दिया है। यह कहना सहीं है कि मेरे भांजे विकास का ईलाज रामकृष्ण अस्पताल में चल रहा था। यह कहना गलत है कि पुलिस कथन प्रपी–7 के अ से अ भाग ''मुझे पता चला .... भर्ती किये है'' पुलिस को बताया था। स्वतः कहा कि पुलिस ने मेरा कोई कथन नहीं लिखा था। यह कहना गलत है कि आरोपी को बचाने के लिए आज सत्य कथन नहीं कर रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती प्रतिभा राठौर पैनल अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

04. कुछ नहीं।

समय – 12:45 से 12:55 तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर ....